

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 27/2019

तारीख दायर 30.09.2019

पीठासीन अधिकारी:- गोपाललाल स्वर्णकार, आरएएस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

- प्रार्थी

बनाम

श्री मनोहरलाल पोरवाल पुत्र श्री सूर्यभानु पोरवाल, मेसर्स रूपचन्द बादरमल पोरवाल,
सदर बाजार, महादेव गली, छोटीसादडी,

अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 12/12/2019

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड नमकीन (शुभम् श्री) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.07.2019 को दोपहर 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेसर्स रूपचन्द बादरमल पोरवाल, सदर बाजार, महादेव गली, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां पर श्री मनोहरलाल पोरवाल पुत्र श्री सूर्यभानु पोरवाल उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया तथा विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र वर्ष 2019 का

मांगा जिस पर उन्होने मौके पर स्वयं के पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर वहा लगभग 60 सीलड पॉलिपेकेट 500 ग्राम वजन वाले नमकीन (शुभम श्री) आमजनता को बिक्री वास्ते रखी हुई थी। जिनमे गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर 4 सीलड पॉलिपेकेट नमकीन (शुभम श्री) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उनकी कीमत 160 रूपये विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर सुनकर समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 4 सीलड पॉलिपेकेट नमकीन (शुभम श्री) को एक एक कर गत्ते के डिब्बों में डाला। लेबल तैयार कर प्रत्येक डब्बे पर चिपकाये ओर लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के कोड क्रमांक वाई-1059 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 1059 नियमानुसार चारो नमूना बोटल पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार कराये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को श्री सूरजमल मीणा च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को श्री सूरजमल मीणा च.श्रे.क. के द्वारा जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा

भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया नमकीन (शुभम श्री) मिसब्राण्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष 30.09.2019 को प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित लेकिन उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 322/एक्ट/2019 /324 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रही नमकीन (शुभम श्री) का नमूना जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त मिसब्राण्ड नमकीन विक्रय करने का दोषी पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार किया गया है। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी के साथ उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत दिनांक 03.07.2019 को उपलब्ध कुल माल 60 पकेट(30 किलो प्रत्येक किलो की कीमत 80 रु) के हिसाब से कुल राशि 2400 की पाँच गुना शास्ति 12000 रु (अक्षरे बारह हजार रूपये मात्र) अप्रार्थी पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला

मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 12.12.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।



(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2019/ 199-201

दिनांक 12.12.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री मनोहरलाल पोरवाल पुत्र श्री सूर्यभानु पोरवाल मेसर्स रूपचन्द बादरमल पोरवाल, सदर बाजार, महादेव गली, छोटीसादडी

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

